स0स0 9/ का0-10-9/2012

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 22260/2011 में उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2013 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 320(9) दिनांक 24.03.06 को निरस्त करते हुए विभागीय सकल्प सं0 214(9) दिनांक 7.3.2014 द्वारा डा0 (श्रीमती) स्वर्णलता सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा प दाधिकारी, पी0पी0 प्रोग्राम, सदर अस्पताल, सासाराम संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध नए सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित पाया गया। अधिगम की प्रति संलग्न करते हुए डा0 (श्रीमती) सिन्हा से विभागीय पत्रांक 931(9) दिनांक 15.10.2014 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई। उनसे प्राप्त प्रत्युतर दिनांक 10.11.2014 की समीक्षोपरांत उनका 20% पेंशन अवरूद्ध करने का दण्ड दिए जाने का निर्णय माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार के अनुमोदन से लिया गया। जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक 1292 दिनांक 11.08.2015 द्वारा सहमति दी गई, किन्तु आयोग द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 2260/2011 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 03.07.2013 को पारित आदेश के अनुपालन के बिन्दु पर विभाग को स्वयं आश्वस्त हो लेने का परामर्श दिया गया तदालोक में मामले की पुनः समीक्षा की गई तथा यह देखते हुए कि यदिडा0 (श्रीमती) सिन्हा सेवा में रहती तो बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत करीब 6 वर्षो की अनाधिकृत अनुपस्थिति के प्रमाणित आरोप में सेवा से बर्खास्त करने का दंड इनके विरूद्ध अधिरोपित किया जाता, चूंकि ये सेवानिवृत हो चुकी है, अतः इनके विरूद्ध 100 प्रतिशत पेंशन स्थाई रूप से कटौती की शास्ती का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरांत लिया गया ।

अतः डा0(श्रीमती) स्वर्णलता सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, पी0पी0 प्रोग्राम, सदर असपताल, सासाराम, सम्प्रति सेवानिवृत की 100% पेंशन की राशि स्थाई रूप से अवरूद्ध करने का दंड दिया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/
सरकार के अवर सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः 866 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 01/10/2015

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, (ले0 एंव ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना स्थापना शाखा-3 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— डा0 (श्रीमती) स्वर्णलता सिन्हा, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, पी0पी0 प्रोग्राम, सदर अस्पताल, सासाराम संप्रति सेवानिवृत, पता- संतपोल स्कूल कैम्पस, कच्चीतलाव गर्दनीबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक 1292 दिनांक 11.8.15 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30.9.15

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta\Nigrani 29-5-2014\New visselense section letter.24.2.15 (Autosaved).docx